प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **23-08-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-थाना बिलारी पुलिस द्वारा ई- रिक्शा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना मे संलिप्त 02 अभियुक्तगणो को गिरफ्तार कर,कब्जे से लूट की ई रिक्शा बरामद की गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 19.08.2025 को वादी इमरान खाँ पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला कायस्थान कस्बा व थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद ने अज्ञात आरोपीगण द्वारा वादी की ई-रिक्शा चालक शाहिल से थाना बिलारी क्षेत्र के ग्राम धनियाखेडा हरौरा के बीच जंगल मे लूट कर ले जाने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 372/2025 धारा 309(4) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने, मुकदमा उपरोक्त की घटना का शीघ्र अनावरण व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिलारी के मार्ग दर्शन में थाना बिलारी पर दो टीमों का गठन किया गया।

गठित टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में साक्ष्य संकलन व सी0सी0टी0वी0 कैमरे आदि व गहनता से छानबीन की गयी। साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1- भुवनेश पुत्र रामवीर निवासी ग्राम परौता थाना शाहबाद जनपद रामपुर, 2- अरबाज खान पुत्र यासीन खान निवासी नई बस्ती, फरजन्द नगर थाना सिरौली जनपद बरेली, 3- सोनू, 4- प्रदीप के नाम प्रकाश मे आये है। उक्त क्रम में गठित टीम थाना बिलारी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 23.08.2025 को अभियुक्तगण 1- भुवनेश पुत्र रामवीर निवासी ग्राम परौता थाना शाहबाद जनपद रामपुर, 2- अरबाज खान पुत्र यासीन खान निवासी नई बस्ती, फरजन्द नगर थाना सिरौली जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित लूटी गयी ई-रिक्शा बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य 02 वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 372/2025 धारा 309(4)/ 317(2) बी0एन0एस0

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1-भुवनेश पुत्र रामवीर निवासी ग्राम परौता थाना शाहबाद जनपद रामपुर

2-अरबाज खान पुत्र यासीन खान निवासी नई बस्ती फरजन्द नगर थाना सिरौली जनपद बरेली।

बरामदगी का विवरणः-

मुकदमा उपरोक्त से संबंधित लूटी गयी ई-रिक्शा रंग हरा

पूछताछ का विवरणः-

पुलिस पूछताछ पर अभियुक्त भुवनेश ने बताया कि हम लोग आपस में दोस्त है, दिनांक 18.08.2025 को रात के 08 बजे करीब मै व मेरे साथी सोनू व प्रदीप एक ई-रिक्शा में बैठे थे हमारे मन में लालच आ गया और हम लोग इस ई-रिक्शा चालक का डरा धमका कर ग्राम धनियाखेडा हरौरा वाले रास्ते पर ले गये तथा ई-रिक्शा चालक को डरा धमका कर ई-रिक्शा लूट कर भाग गये थे। आज मै इस ई-रिक्शा को अरबाज को बेचने के लिये आया था कि पुलिस ने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक उदयप्रताप थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

2- व0उ0नि0 अशोक कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

2- उ0नि0 बिपिन कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

4- कां0 सचिन सिंह थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

5- कां0 नितिन कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

2.छुरी से युवक पर गाली-गलौज करते हुये हमला करने का आरोपी गिरफ्तार,थाना बिलारीः-

अवगत कराना है दिनांक 22.08.2025 को वादी रवि कुमार पुत्र श्री रामबहादुर नि0ग्रा0 आरीखेडा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज करते हुये गर्दन एवं चेहरे पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करने के संबंध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 381/2025 धारा-352/109(1)बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 23.08.2025 को उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी आकाश पुत्र श्री सोमपाल नि0ग्रा0 आरीखेडा थाना बिलारी,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने वाली छुरी बरामद की गई।

गिरफ्तार आरोपीः-

आकाश पुत्र श्री सोमपाल निवासी ग्राम आरीखेडा थाना बिलारी,मुरादाबाद।

बरामदगीः-

एक सब्जी काटने वाली छुरी

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बिलारी, मुरादाबाद।

का0 जितेन्द्र कुमार थाना बिलारी, मुरादाबाद।

3-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 10 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरणः-

थाना कोतवाली नगर-02,थाना कटघर-02, थाना कांठ-01,थाना छजलैट-01, थाना बिलारी-04